झारखण्ड सरकार

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के एकादश (विशेष) मानसून सत्र

(दिनांक 25 जुलाई, 2013)

में

डॉ. सैयद अहमद

माननीय राज्यपाल, झारखण्ड

का

अभिभाषण

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के
एकादश (विशेष) मानसून सत्र
(दिनांक 25 जुलाई, 2013)

में

डॉ. सैयद अहमद
माननीय राज्यपाल, झारखण्ड

का

अभिभाषण

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के एकादश (विशेष) मानसून सत्र एवं वर्ष 2013 के प्रथम सत्र में मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन एवं मुबारकबाद देता हूँ। कैलेन्डर वर्ष, 2013 के इस प्रथम सत्र में इस गरिमामय सदन को सम्बोधित करते हुए मुझे अपार खुशी एवं हर्ष हो रहा है। मुझे आशा है कि राज्य के इस सबसे बड़े पंचायत में आप सभी झारखण्ड के चहुँमुखी विकास एवं जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने से संबंधित मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से रखकर प्रदेश के विकास में अपना सक्रिय सहयोग एवं समर्थन देंगे। झारखण्ड की जनता की खुशहाली, शांति एवं तरक्की की कामना एवं शुभकामना अर्पित करता हूँ।

2. राज्य में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन प्रदेश को सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करने, सामाजिक न्याय और सौहार्द्र स्थापित करने, राजनीतिक स्थिरता एवं समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से किया गया है और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार जनता की आकांक्षाओं एवं आशाओं को पूरा करने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर करेगी।

3. प्राकृतिक सौन्दर्य और संसाधनों से परिपूर्ण झारखण्ड असीम संभावनाओं से परिपूर्ण राज्य है। हमारी सरकार द्वारा झारखण्ड की जनता को खुशहाल एवं समृद्ध बनाने के लिए गंभीर प्रयास किये जायेंगे, ताकि विकास की रफ्तार को गतिशील किया जा सके। हमारी सरकार का यह संकल्प है कि प्रदेश का विकास शांति एवं सुरक्षा के वातावरण में किया जाए। जब प्रदेश का हर नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करेगा, तभी आर्थिक गतिविधियाँ तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी, सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे के वातावरण में ही राज्य का चतुर्दिक विकास संभव हो सकेगा।

4. हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य में पारदर्शी, संवेदनशील एवं दायित्वपूर्ण शासन एवं अपराधमुक्त, भयमुक्त तथा अन्यायमुक्त समाज का निर्माण करना है। सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के हितों को सर्वोपरि ध्यान में रखा जायेगा। समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का शिकार रहे कमजोर वर्ग जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग

के लोगों के विकास हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही, राज्य में जाति, धर्म एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों के हितों का समुचित ध्यान रखा जायेगा।

5. राज्य का चतुर्दिक विकास सुनिश्चित करने की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार पूरी सजगता एवं चौकसी के साथ कार्य करेगी। मुझे यकीन है कि विकास के सभी क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण विकास, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, नागरीय सुविधाएँ, पेयजल आदि क्षेत्रों में बेहतर नीति एवं कार्यान्वयन योजना के साथ हमारी सरकार प्रशंसनीय मुकाम हासिल करेगी।

6. माननीय सदस्यगण, हमारी सरकार के प्रशासनिक सजगता एवं सतर्कता के कारण सामाजिक सौहार्द्र में वृद्धि होगी और कोई भी साम्प्रदायिक सद्भावना को गम्भीरता के साथ लिया जायेगा। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि प्रदेश के अमन–चैन के वातावरण पर कोई आँच न आये एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्र, एवं समरसता बनी रहे।

7. हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि प्रदेश में कठोर वित्तीय अनुशासन स्थापित हो और अनुत्पादक एवं अनावश्यक खर्चे कम किये जायें ताकि विकास और कल्याण के लिए अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध हो सके।

8. इंटरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (ईफाड), रोम द्वारा संपोषित झारखण्ड ट्राईबल इम्पावरमेंट एण्ड लाईबलीहुड प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई है। यह योजना राज्य के जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के 14 जिलों यथा रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसांवा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज एवं लातेहार के 30 प्रखंडों के 164 पंचायत एवं 1330 गांवों में चलाया जाएगा।

9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित छात्रवृति योजनान्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के 4 जिलों– राँची, रामगढ़, हजारीबाग एवं सरायकेला–खरसांवा में डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रान्सफर स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण की योजना लागू की गई है। द्वितीय चरण में 3 जिलों यथा, लोहरदगा, बोकारो एवं खूंटी को शामिल किया गया है। वर्तमान में सभी जिलों को **आधार संख्या** युक्त छात्रवृति का भुगतान करने हेतु सभी उपायुक्तों को निदेश दिया गया है।

10. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए Multi Sectroal Development Program (MSDP) योजना पूर्व में 6 जिलों यथा, राँची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, साहेबगंज, पाकुड़ में चलायी जा रही थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 अन्य जिलों को शामिल किया गया है। पूर्व में जिला आधारित योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा था। वर्तमान में प्रखंड स्तर पर योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। 16 जिलों के कुल 44 प्रखंडों को शामिल किया गया है। प्रत्येक प्रखंड से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सुविधा आदि के लिए 10-10 करोड़ के परियोजना प्रस्ताव की मांग जिलों से की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सम्प्रति आई.टी.आई. भवन निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, पॉलिटेक्निक निर्माण, इंदिरा आवास निर्माण की योजना ली गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बेड़ो, राँची में ITI निर्माण हेतु 152.23 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

11. अनुसूचित जनजाति के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में 9840.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। जलसंग्रहण सिंचाई योजना, वृक्षारोपण, बकरी पालन, डेयरी विकास, मुर्गी पालन, रंगीनी लाह, तसर प्री एवं पोस्ट कुकून योजना के तहत् लगभग 87000 जनजातीय परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

12. झारखंड वक्फ ट्रिब्यूनल को क्रियाशील करते हुए पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। राज्य के चार जिलों- राँची, रामगढ़, हजारीबाग एवं सरायकेला में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृति का वितरण किया जा रहा है।

13. राज्य के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से पूरक पोषाहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही 5 वर्ष से ऊपर के नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वामी विवेकानन्द नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना चलायी जा रही है जिसके तहत उन्हें 400/- (चार सौ) रु. प्रतिमाह सम्मान स्वरूप प्रदान की जाती है।

14. एच.आई.बी./एड्स से पीड़ित व्यक्तियों/बच्चों के पुनर्वास हेतु एक कार्यक्रम चलाये जाने की योजना है, जिसके तहत इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों/बच्चों का ईलाज प्रतिष्ठित अस्पतालों में कराया जायेगा। साथ

ही, विधवाओं के कल्याण के लिए एक कार्यक्रम चलाये जाने की योजना है जिसका क्रियान्वयन झारखण्ड महिला विकास समिति द्वारा किया जायेगा।

15. राज्य में श्री विधि से धान की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खरीफ 2013–14 के लिए 5.00 लाख हे. में श्री विधि से खेती की कार्रवाई की जा रही है। श्री विधि से खेती करने वाले कृषकों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रु. 62.50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

16. खरीफ 2013–14 में बीज विनिमय एवं वितरण योजना के तहत 88813 क्विं. धान बीज का वितरण किया जा रहा है। इस मद में रु. 25.12 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। खरीफ 2013–14 के लिए 11000 किसानों को 452 फार्म स्कूलों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। औसत से कम वर्षापात की स्थिति में आकस्मिक फसल योजना लागू करने की व्यवस्था की गई है।

17. राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन हेतु 7000 पक्का पीट एवं 3000 एच.डी.पी.ई. के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत रु. 80.00 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गई है जिनका कार्यान्वयन प्रारंभ है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मशाला मिशन के तहत रु. 2.00 करोड़, राज्य औषधीय मिशन के तहत रु. 1.00 करोड़ एवं राज्य जैविक मिशन के तहत रु. 7.00 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत हाई डेन्सिटी फलदार वृक्षारोपण, फूलों, मसालों एवं औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दी जाएगी।

18. राज्य में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अलावे मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू किया किया गया है जिसमें बीमा राशि का भुगतान फसल कटनी के आधार पर न होकर मौसम के आधार पर किया जाता है। कृषि कार्य में समय की बचत एवं उत्पादन व्यय कम करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजनान्तर्गत रु. 18.52 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। कृषि उपकरण बैंक की स्थापना हेतु रु. 20.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

19. राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन हेतु गढ़वा एवं देवघर में कृषि महाविद्यालय, चाईबासा में उद्यान महाविद्यालय, दुमका में दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, राँची में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय एवं गुमला में मत्स्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के भवनों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इन महाविद्यालयों को पी.पी.पी. मोड पर संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

20. मुख्यमंत्री किसान क्रेडिट कार्य योजना अन्तर्गत राज्य के 8 जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2012–13 में 8142 किसानों को 1102.62 लाख रुपये किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में चौंतीस हजार किसानों को 50.00 करोड़ रुपये ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

21. धान अधिप्राप्ति योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लैम्पस/ पैक्स के माध्यम से कुल 4266706 क्विंटल धान क्रय कर 346.40 करोड़ रुपये मूल्य किसानों को उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 45 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।

22. एनसीडी वित्त सम्पोषित समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य के तेरह जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना पूर्ण की गई है जिसके तहत् मुख्य रूप से 100 M.T. के 478 गोदाम का निर्माण तथा 500 एम.टी. के 8 गोदाम का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में आईसीडीपी परियोजना बोकारो, गुमला एवं सिमडेगा जिले में प्रारम्भ करने की योजना है।

23. केन्द्रीय सहकारी बैंक कम्प्यूटरीकरण योजना अन्तर्गत सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक का कम्प्यूट्राइजेशन हो गया है एवं Core Banking System Mode (CBS) में कार्य करना आरंभ कर दिया गया है।

24. Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP) के तहत् वित्तीय वर्ष 2013–14 में कार्यान्वित किये जा रहे 388 अदद् चेकडैम निर्माण योजना में से माह जून 2013 तक 147 चेकडैम का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इन योजनाओं से 7,380 हे. क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। पंचखेरो जलाशय योजना (कोडरमा एवं गिरिडीह) के River Closure का कार्य

पूर्ण किया जा चुका है एवं जल संचयन किया जा रहा है। पंचखेरो जलाशय योजना से प्रथम बार खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

25. राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से गत वर्ष 82,000 हे. क्षेत्र में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी। इस वर्ष लगभग 1,00,000 हे. क्षेत्र में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य है।

26. सुवर्णरेखा परियोजना में चांडिल बाँध के बांयी मुख्य नहर से 113.00 कि.मी. तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही गालूडीह दाँया मुख्य नहर से उड़ीसा राज्य की सीमा तक पानी पहुँचा कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

27. नकटी जलाशय योजना (प. सिंहभूम) एवं सुरंगी जलाशय योजना (राँची) लाभुक को सिंचाई हेतु समर्पित किये जाने का कार्यक्रम है। वर्ष 2013-14 में लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन (AIBP) अन्तर्गत अवशेष 241 अदद् चेकडैम को पूरा करने का कार्यक्रम है। इन योजनाओं से 13,400 हे. क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा।

28. इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई प्रक्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2013-14 की शेष अवधि में राज्य योजना मद से 35 अदद् चेकडैम, 30 अदद् उद्वह सिंचाई योजना, 12 अदद् आहर तालाब योजना एवं 4 मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण कार्य पूरा करने का कार्यक्रम है। इन योजनाओं से 3,790 हे. क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।

29. भारत सरकार द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में देश के चार कम आच्छादित (आबादी) राज्यों यथा- असम, बिहार, उत्तरप्रदेश एवं झारखण्ड हेतु पेयजलापूर्त्ति एवं स्वच्छता के आच्छादन को गति प्रदान करने के लिए विश्व बैंक से अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर अगले छः वर्षों के लिए योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। झारखण्ड राज्य में लगभग 1250.00 करोड़ रुपये इस योजना पर व्यय करने का प्रस्ताव है।

30. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 93% आबादी को नलकूपों से तथा 7% आबादी को ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति योजनाओं से जलापूर्त्ति की जा रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत

आबादी को ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति योजनाओं से जलापूर्त्ति किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2012–13 की कुल 50 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में से कुल 13 अद्द ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाएँ पूर्ण कर चालू की गई हैं तथा शेष योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

31. वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजलापूर्त्ति कार्यक्रम अन्तर्गत मृत 17222 अद्द ड्रिल्ड नलकूप के पुनर्निर्माण का कार्य प्रस्तावित है जिसकी प्राक्कलित राशि 126.79 करोड़ रुपये है। साहेबगंज जिला में 26 आर्सेनिक प्रभावित ग्रामों एवं 7 लोराईड प्रभावित ग्रामों सहित 58 गाँवों में पेयजलापूर्ति हेतु गंगा एवं गुमानी नदी के जल स्रोतों से 134.00 करोड़ रुपये की लागत से मेगा जलापूर्त्ति योजना का निर्माण किया जा रहा है। यह ग्रामीण क्षेत्र की पहली इतनी बड़ी योजना है।

32. निर्मल भारत अभियान के तहत् महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) के साथ अभिषरण कर ग्रामीण क्षेत्र में पक्का शौचालय निर्माण हेतु निर्देश जारी किया गया है। देवघर और कोडरमा जिलों में शौचालय का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है। राज्य में कुल 259 प्रखंड समन्वयकों एवं 443 संकुल समन्वयकों को निर्मल भारत अभियान के तहत् रोजगार से जोड़ा गया है।

33. ''**अपना पानी अपनी निगरानी**'' के तहत् राज्य के 16 जिलों में 24000 जल सहियाओं को फिल्ड टेस्ट किट का प्रशिक्षण दिया गया है एवं 73493 सार्वजनिक स्रोतों की सफलतापूर्वक जाँच की गई है।

34. पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण हेतु पेयजल एवं स्वच्छता का कार्य ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से कराने के लिए राज्य के 24 जिलों के विभिन्न ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को 24 करोड़ 14 लाख रुपये निधि हस्तान्तरित की गई है। ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण के क्रम में 8852 पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को लेखांकन एवं बही खाता के संधारण हेतु प्रशिक्षित किया गया है। राज्य के 24000 जल सहिया को ग्राम स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता का संधारण एवं संचालन कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान कर रोजगार से जोड़ा गया है।

35. झारखण्ड गठन के पश्चात् राज्य के पशुधन को बेहतर पशु चिकित्सा सेवा एवं नस्ल सुधार के माध्यम से उनके उत्पादकता में वृद्धि लाया गया है। वर्ष 2001–02 में मांस एवं अण्डा का उत्पादन क्रमश:

394.63 लाख किलो एवं 411 मिलियन था, जो वर्ष 2012–13 में बढ़कर क्रमश: 445.1 लाख किलो एवं 423.8 मिलियन उत्पादित हुए है।

36. पशुओं के रोग निदान एवं स्वास्थ्य की सुविधा पशुपालकों के घर पर उपलब्ध कराने हेतु चार जिलों यथा राँची, जमशेदपुर, गढ़वा तथा धनबाद में चलन्त कृत्रिम गर्भाधान सह पॉली–क्लीनिक संचालित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत ग्रामीणों के पशुधन को उनके द्वार तक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गत वित्तीय वर्ष 4400 पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में भी 4400 पशु स्वास्थ्य शिविर के आयोजन का लक्ष्य है।

37. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत विगत वर्ष विधवा सम्मान योजना के तहत् राज्य की 1000 विधवा महिलाओं को बकरी एवं बकरा प्रति इकाई शत–प्रतिशत अनुदान पर, बकरा प्रजनन योजना के तहत् 1949 लाभुकों को 5 बकरी एवं 1 बकरा प्रति इकाई, सूकर विकास के तहत् 4 सूकरी एवं 2 सूकरों की 1294 इकाई तथा कुक्कुट विकास के तहत् स्वयं सहायता समूह की 800 महिला लाभुकों को 400 ब्रॉयालर इकाइयाँ 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरित की गई हैं। चालू वित्तीय वर्ष में भी उक्त लाभकारी योजनाओं के लिए लाभुकों का चयन प्रक्रियागत है।

38. राज्य में गव्य विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध की समुचित बिक्री की सुदृढ़ व्यवस्था के लिये झारखण्ड स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लि. (मिल्कफेड) का गठन एवं निबन्धन कराया गया है। विगत वित्तीय वर्ष में राज्य में कुल 17.90 लाख मीट्रिक टन (अनुमानित) दूध का उत्पादन हुआ है तथा चालू वित्तीय वर्ष में कुल 19.70 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य है। झारखण्ड राज्य में दुग्ध प्रक्षेत्र के समेकित विकास के लिये स्तरीय अध्ययन एवं शोध कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, हँसडीहा की स्थापना प्रगति पर है।

39. राज्य में मछली पालन के विकास हेतु राज्य के उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर राज्य में मछली की वार्षिक 1.15 लाख टन माँग के विरुद्ध वर्ष 2012–13 में 96,600 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 1.10 लाख मीट्रिक टन विभागीय मत्स्य

उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 27,300 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। स्थानीय भागीदारी एवं स्वामित्व के सिद्धांत के आधार पर 3600 प्रशिक्षित मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के माध्यम से 412 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन एवं संचयन की ओर राज्य अग्रसर है।

40. नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना अंतर्गत चांडिल जलाशय के 46 अधिष्ठापित केज में आठ माह के अंदर केज कल्चर द्वारा 120 टन मछली के उत्पादन से प्रेरित होकर राज्य के अन्य जलाशयों में 700 नये मत्स्य केज अधिष्ठापन की कार्रवाई की जा रही है, जिससे 3500 मीट्रिक टन अतिरिक्त मछली का उत्पादन चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में 1400 मछुआरा आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ छियासी हजार दो सौ मछुआरों को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत आच्छादित किया गया है। साथ ही पाँच हजार मत्स्य कृषकों को वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।

41. राज्य के छात्र-छात्राओं तथा अग्रणी मत्स्य कृषकों को मत्स्य प्रौद्योगिकी की पढ़ाई हेतु राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए राज्य में मत्स्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं इसे निजी एवं सरकारी भागीदारी पर संचालन हेतु कार्रवाई की जा रही है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के स्वनियोजन हेतु 3200 युवकों को मत्स्य पालन हेतु निबंधित एवं प्रशिक्षित किया गया है।

42. झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत वनभूमि, रैयती भूमि, पथतट आदि में उपलब्ध भूमि पर वनरोपण का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। स्थानीय समुदायों की आवश्यकता पूर्ति हेतु काष्ठ, फलदार वृक्ष, रोजगारोन्मुखी प्रजातियाँ जिसमें लाह एवं तसर-पोषक प्रजातियाँ शामिल हैं, का वनरोपण किया जा रहा है। कार्य-योजना क्षेत्र में विद्यमान एवं क्रियाशील संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का यथासंभव सहयोग लिया जा रहा है और ग्राम समुदाय को योजना कार्यों से जोड़ने के लिए इन्ट्री-प्वाईंट कार्य (सामुदायिक लाभ के आवश्यकता आधारित छोटे-छोटे निर्माण कार्य, संरचना विकास कार्य) भी किए जा रहे हैं।

43. ग्रामीण रोजगारोन्मुखी योजना अन्तर्गत ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी हेतु ''लघु वन पदार्थों का उन्नयन'' योजना के अन्तर्गत लाह एवं तसर के उत्पादन हेतु पोषक वृक्षों का वनरोपण तथा लाह एवं

तसर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषकों के 3000 स्वयं सहायता समूहों (SGHs) के माध्यम से लाह पोषक वृक्षों की कटाई–छँटाई, बीहन, टूल–किटस्, कौशल विकास पर व्यय के रूप में आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे 30 हजार परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2013–14 में चालू कार्य – योजनाओं के अन्तर्गत उपरोक्त कार्यों के संपादन के साथ–साथ कुल 3430 हे. वनभूमि में लाह एवं तसर पोषक वृक्षों का रोपण किया जायेगा।

44. मानव–वन्यप्राणी प्रबंधन के अन्तर्गत जंगली हाथियों से जानमाल की क्षति को रोकने का कार्य ग्राम समुदाय की सहभागिता से किया जा रहा है तथा क्षति के एवज में मुआवजा का भुगतान भी किया जा रहा है।

45. राज्य के तीन शहरों राँची, धनबाद एवं जमशेदपुर के शहरी गरीबों के लिए Relocation of Slums के आधार पर राँची में कुल 8928 आवास, धनबाद कुल 3618 आवास एवं जमशेदपुर में कुल 4176 आवास निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में गरीब बेरोजगार युवक एवं युवतियों को विभिन्न प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं ऋण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चलाई जायेगी।

46. शहरी स्थानीय निकायों के सात शहरों यथा चक्रधरपुर, पाकुड़, जामताड़ा, गढ़वा, मेदिनीनगर, हजारीबाग एवं गोड्डा शहरी जलापूर्ति योजना हेतु विभिन प्रक्षेत्रों में वर्ष 2013–14 के राज्य योजना बजट में 65.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही धनबाद की सिवरेज–ड्रेनेज योजना, आदित्यपुर की जलापूर्त्ति योजना, जमशेदपुर की सिवरेज योजना तथा राँची की महत्त्वाकांक्षी सिवरेज–ड्रेनेज योजना पर स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

47. झारखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु मुख्यालय एवं निकाय स्तर पर विभिन्न दौर की बैठकें, कार्यशाला, सेमिनार, पदयात्रा आयोजित की गई है। इससे 40 माईक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के उपयोग में भारी कमी आई है।

48. झारखंड के नगर निकायों में Service Latrine की संख्या, प्रभावित वार्डों की संख्या एवं सर्वेक्षण हेतु निर्धारित केन्द्र सुपरवाईजर, इनुमरेटर, डाटाइन्ट्री ऑपरेटर के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है। सरकार झारखंड राज्य में Manual Scavenger को समाप्त करने हेतु कटिबद्ध है।

49. नागरिक सुविधा अन्तर्गत विभिन्न मदों यथा–सामुदायिक भवन निर्माण, पथ प्रकाश का अधिष्ठापन, पार्कों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण, शॉपिंग कॉमप्लेक्स, रैन बसेरा का निर्माण, (नाईट शेल्टर), शवदाह गृह, संयंत्र आदि हेतु सभी शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर कुल 37.50 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है।

50. राज्य के पथ यातायात व्यवस्था के विकास हेतु पथों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने, पथों की क्षमता को बढ़ाने एवं पथों के राईडिंग क्वालिटी में सुधार करने हेतु पथ निर्माण विभाग के अधीन राजकीय पथ (State Highway, SH), वृहद् जिला पथ (Major District Road, MDR) एवं अन्य जिला पथों (Other District Roads, ODR) के विकास हेतु योजनाएँ चलायी जा रही हैं, जिसके तहत् SH, MDR एवं ODRs के पथों का घनत्व बढ़ाना, पथों की क्षमता एवं गति बढ़ाने के उद्देश्य से पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, शहरों के बाईपास का निर्माण एवं इसमें पड़ने वाले लेबल क्रॉसिंग में Railway Over Bridge (ROB) का निर्माण एवं जर्जर, क्षतिग्रस्त एवं संकीर्ण पुलों के स्थान पर चौड़े पुलों का निर्माण/पुनर्निर्माण कार्य, पथों के राईडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु पथों का मजबूतीकरण एवं राईडिंग क्वालिटी में सुधार का कार्य किया जायेगा।

51. 12वीं पंचवर्षीय योजना में अब तक लगभग 385 कि.मी. पथों का अधिग्रहण कर पथ निर्माण के पथों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है। साथ ही 932 कि.मी. पथों का मजबूतीकरण/चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य एवं 25 अदद पुल निर्माण कार्य सम्पन्न किया गया है।

52. सरकार द्वारा वृहद पैमाने पर पथों और पुलों के उन्नयन एवं विकास के कार्य भी किये जा रहे हैं जिनमें मुख्य हैं :–

a. दुमका–रामपुरहाट का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य – 50 कि.मी.

b. खोरीमहुआ–धनवार सरिया पथ – 35 कि.मी.

c. देवघर–दुमका पथ – 42 कि.मी.

d. दुमका–हंसडीहा पथ – 52 कि.मी.

e. वाह्य सम्पोषित योजना अन्तर्गत एशियन विकास बैंक (ADB) के ऋण से गोविन्दपुर–जामताड़ा–दुमका बरहेट–साहेबगंज पथ – 310 कि.मी.

f. लोक–निजी भागीदारी अन्तर्गत BOT (Annuity) के आधार पर

(i) राँची–पतरातू–रामगढ़ पथ (लम्बाई 62 कि.मी.) –राँची–पतरातू पथांश पूर्ण हो चुका है।

(ii) राँची रिंग रोड के सेक्शन III, IV, V एवं VI (कुल लम्बाई 36.792 कि.मी.) – कार्य पूर्ण हो चुका है।

(iii) चाईबासा – सरायकेला– कान्ड्रा – चौका पथ (लम्बाई 68.7 कि.मी.) – कार्य प्रगति पर है तथा

(iv) आदित्यपुर – कान्ड्रा पथ (लम्बाई 15.5 कि.मी.) – 4 लेन मेन कैरिजवे का कार्य पूर्ण हो चुका है।

53. पथों के विकास हेतु शीघ्र ही लगभग 530 कि.मी. पथ में निर्माण कार्य शुरू कराये जाने की योजना है जिनमें मुख्य है:–

a. बगदाहा मोड़–पालाजोरी–केराबानी–हरिपुर–बासुकीनाथ नोंनीहाट पथ – 63.00 कि.मी.

b. नेतरहाट–घाघरा पथ – 55.00 कि.मी.

c. चक्रधरपुर–सोनुआ–गोयलकेरा पथ – 80.00 कि.मी.

d. चतरा–चौपारण पथ – 63.00 कि.मी.

e. गढ़वा–शाहपुर

54. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च पथों के निम्नांकित कार्य राज्य में किए जा रहें हैं :–

(i) NH-33 के बरही से बहरागोड़ा पथ का 4 लेन निर्माण कार्य जो चार सेक्शन में स्वीकृत है, इसमें हजारीबाग – राँची पथांश (लगभग 74 कि.मी.) लगभग पूर्ण किया जा चुका है।

(ii) भारत सरकार के नक्सल प्रभावित क्षेत्र योजना अन्तर्गत NH-75, NH-75 (विस्तार), NH-98, NH-99 एवं NH-100 में कुल 509 कि.मी. में कार्य प्रगति में है तथा

(iii) NH-32 के 58 कि.मी. का 4/2 लेनिंग कार्य, NH-23 राँची–गुमला–विरमित्रापुर पथांश के 78 कि.मी. का 4/2 लेनिंग कार्य एवं NH-02 का 6 लेनिंग कार्य (149 कि.मी.) के लिए भी कार्य प्रारंभ की प्रक्रिया अग्रिम स्तर पर है।

55. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने हेतु सभी ग्रामीण परिवारों को अकुशल कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के माध्यम से कुल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने का लक्ष्य है। यह योजना राज्य के सभी 24 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में 564.93 लाख श्रम दिवस का सृजन किया गया है एवं कुल 84412 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

56. इंदिरा आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष–2012–13 में 43419.76 लाख रु. व्यय कर 70972 इकाई इंदिरा आवास निर्माण का कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष–2013–14 में 4682.78 लाख रु. व्यय कर 9560 इकाई इंदिरा आवास निर्माण का कार्य किया जाएगा।

57. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं एन.आर.एल.एम. योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष–2012–13 में 5886.53 लाख रु. व्यय कर 316 गाँव को आच्छादित करते हुए 530 एस.एच.जी. का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष–2013–14 में उक्त योजना पर 8000 लाख रु. व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

58. जल एवं भूमि संरक्षण एवं आजीविका की स्थिति में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित जलछाजन प्रंबधन कार्यक्रम (IWMP) चलाया जा रहा है। उक्त योजना पर वित्तीय वर्ष–2012–13 में 2143.56 लाख तथा वित्तीय वर्ष–2013–14 में 270.33 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

59. आदर्श ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत गरीब परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सभी सुविधायुक्त उच्च गुणवत्ता का आवास उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए इस योजना अंतर्गत कुल 500.00 लाख रु. मात्र व्यय करने का प्रस्ताव है।

60. संजीवनी योजना अन्तर्गत ग्राम स्तर पर सामुदायिक स्रोत व्यक्ति की अवधारणा के तहत् पढ़े-लिखे युवा वर्ग को प्रशिक्षित कर ग्राम स्तर पर क्षमता वर्धन के कार्य में लगाये जाने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए इस योजना अंतर्गत कुल 500.00 लाख रु. मात्र व्यय करने का प्रस्ताव है।

61. झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का विखण्डन कर उत्तरवर्ती चार कंपनियों यथा झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि., झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि., झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि. एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि. के गठन की कार्रवाई की जा चुकी है। शीघ्र ही नवनिर्मित निगमों को कार्यरत बनाते हुए विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण में सुधार लाया जायेगा।

62. राज्य में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सुधार हुआ है। पतरातू की यूनिट संख्या 10 से तकरीबन 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान से औसतन 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। इकाई संख्या 9 से उत्पादन हेतु अनुरक्षण का कार्य त्वरित गति से प्रक्रिया में है।

63. पी.जी.सी.आई.एल. के परामर्श से लगभग 1400 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 19 ट्रान्समिशन लाईन एवं 10 ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण के संबंध में आदेश निर्गत किया जा चुका है। संचरण के क्षेत्र में ललमटिया ग्रीड सब-स्टेशन में 100 एम.वी.ए. का ट्रान्सफार्मर अधिष्ठापित किया गया है। इस ट्रान्सफार्मर के अधिष्ठापन के पश्चात संथालपरगना क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में अपेक्षाकृत सुधार होने की संभावना है।

64. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् कुल 18790 संशोधित ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध 17300 गाँवों का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें से 16393 गाँवों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। साथ ही वर्ष 2011-2012 एवं 2012-2013 के लिए प्रस्तावित योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतिरिक्त कुल 1291 छुटे हुए ग्रामों को ऊर्जान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभिन्न क्षमताओं के ट्रान्सफार्मर का क्रय किया गया है तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अधिष्ठापित 25 के.वी.ए. के जले ट्रान्सफार्मर को बदलने हेतु पर्याप्त मात्रा में सभी भंडारों में उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

65. आर.ए.पी.डी.आर.पी. परियोजना के तहत् 30 शहरों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है, जिसमें राँची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे बड़े शहरों के अलावा दुमका, देवघर एवं सिमडेगा भी सम्मिलित है। उक्त योजना के अंतर्गत राँची में Data Centre and Customer Care Centre का निर्माण कार्य पूरा कर कार्य संपादित किया जा रहा है। जमशेदपुर में Data Recovery Centre का निर्माण कार्य सम्पन्न हो चुका है।

66. सुदूर ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत राज्य के 207 सुदूर ग्रामों को सोलर उपस्करों के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है। साथ ही, राज्य के 4423 पंचायत एवं 260 प्रखण्ड मुख्यालय में e-governance हेतु क्रमश: 1 किलोवाट एवं 2 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

67. राज्य में रेल यातायात के विस्तारीकरण के क्रम में **राँची– लोहरदगा** से टोरी रेल परियोजना में लोहरदगा से बड़कीचापी तक का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इस रेल खण्ड पर रेल परिचालन शुरू किया जा चुका है। **देवघर–दुमका** परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा दिनांक 12.07.2011 से रेल सेवा शुरू हो चुकी है। **गिरिडीह–कोडरमा** रेल परियोजना में कोडरमा से नवाडीह का कार्य पूर्ण हो चुका है।

68. राज्य की जनता, विशेष तौर पर गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए, कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। अनुदानित दरों पर खाद्यान्न, भोजन एवं नमक वितरण करने की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के दौरान भी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3.21 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति की गयी इसके लिए 886 क्रय केन्द्र राज्य के सभी जिलों में स्थापित किये गये हैं। ये केन्द्र पैक्स एवं लैम्प्स द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। धान अधिप्राप्ति के लिए झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम नोडल एजेन्सी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान धान की उपज के आधार पर धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा जायेगा।

69. झारखण्ड सरकार द्वारा सूचना प्रौद्यौगिकी का पूरा उपयोग करने का निर्णय लिया गया है एवं राज्य में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) का संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। इसके लिए रुपये 159.41 करोड़ योजना कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है।

70. राज्य में 23.94 लाख लक्षित बी.पी.एल. परिवारों को 35 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रतिमाह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चिह्नित 11,44,860 अतिरिक्त बी.पी.एल. परिवारों को 35 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रतिमाह रुपया 1.00 (एक) प्रति किलोग्राम की दर से भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होने पर वितरित किया जायेगा।

71. राज्य सरकार वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों के लिए अन्नपूर्णा योजना चला रही है जिसके अन्तर्गत राज्य के 54,939 व्यक्तियों को 10 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों को अनुदानित दर पर किरासन तेल आपूर्ति की योजना चलायी जा रही है जिसके अन्तर्गत सभी जिला मुख्यालय शहरों में 3 लीटर प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4 लीटर प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से किरासन तेल वितरित किया जाता है।

72. राज्य में खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण व्यापक पैमाने पर पारदर्शिता के साथ करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह की 15वीं एवं 25वीं तारीख को चावल दिवस एवं किरासन तेल दिवस के रूप में आयोजित किये जाते हैं। इन दिवसों में वितरण का पर्यवेक्षण करने हेतु जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता है।

73. राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों एवं प्रखण्ड मुख्यालयों में मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के अन्तर्गत 370 दाल–भात केन्द्र चलाये जा रहे हैं जहाँ पर गरीबों को 5 रुपये में एक समय का भोजन दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक दिन 97,800 गरीब व्यक्ति भोजन करते हैं।

74. महिलाओं को रोजगार देने एवं महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से सरकार द्वारा अब केवल महिला स्वयं सहायता समूह को ही जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति दी जा रही है।

75. वित्तीय वर्ष 2013–14 से नई योजना–राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) का क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम सभाओं का क्षमता वर्द्धन करना और उन्हें सशक्त एवं प्रभावशाली बनाना है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में 119.70 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक के लिए कुल 776.34 करोड़

रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने हेतु कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग, प्राथमिक शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता, पशुपालन एवं मत्स्य, जल संसाधन एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं।

76. ई–पंचायत एम.एम.पी. अन्तर्गत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू किये गये Panchayat Enterprise Suite के 11 एप्लीकेशन का प्रशिक्षण सभी जिलों के मास्टर्स ट्रेनर्स को दिया गया है। निर्वाचित 53608 जनप्रतिनिधियों में से 48217 (90.62%) को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

77. ई–पंचायत अन्तर्गत Local Government Directory में राज्य के 96 प्रतिशत ग्रामों का पंचायतवार Mapping किया गया है। साथ ही राज्य के शत प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने अपना Web Site Register कर लिया गया है जिस पर पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं की Uploading की जा सकेगी। ई–पंचायत अन्तर्गत एस.पी.एम.यू. एवं डी.पी.एम.यू. का गठन जैप आई.टी. के माध्यम से करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

78. झारखण्ड राज्य में बिक्री किये जाने वाले वाईन, लिक्योर एवं शैम्पेन पर उत्पाद कर एवं अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण किया गया है। लो स्ट्रेन्थ कॉर्बोनेटेड अल्कोहलिक बिवरेजेज एवं वाईन के संबंध में नीति निर्धारण की गई है तथा उत्पाद कर एवं अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण किया गया है।

79. सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना राज्य में एक सुदृढ़ सूचना एवं संचारतंत्र की Infrastructure अधिष्ठापित करने से संबंधित है। यह परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अन्तर्गत राज्य से प्रखण्ड स्तर तक एक reliable एवं robust नेटवर्किंग Infrastructure विकसित की जानी है। सचिवालय भवनों के बीच LAN के माध्यम से Internet की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार के कर्मियों को कम्प्यूटर के इस्तेमाल में दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार के द्वारा ई–गवर्नेन्स परियोजना के तहत सभी विभाग, जिला का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। Video Conferencing एवं फाइलट्रैकर (Filetracker) की सुविधा प्रदान की जा रही है।

80. कम से कम श्रम, समय तथा व्यय पर अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुँचाने के उद्देश्य से NeGP, CSC, Video Conferencing System, e-Procurement, e-Payment, e-District, SSDG, Computerisation of Departments जैसे परियोजनाओं पर कार्य किये जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त UIDAI अन्तर्गत सभी नागरिकों को एक आधार नंबर प्रदान किया जा रहा है। अब तक 2.38 करोड़ नागरिकों का नामांकन आधार संख्या के लिए किया जा चुका है, जिनमें से 1.81 करोड़ नागरिकों को आधार संख्या प्रदान किया जा चुका है। भविष्य में सरकार द्वारा भुगतान किये जाने वाले छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि का भुगतान आधार के माध्यम से करने की योजना है, जिससे सरकारी कामकाज में बिचौलियों का हस्तक्षेप बिल्कुल समाप्त हो जायेगा। कोयला नगरी धनबाद एवं इस्पात नगरी जमशेदपुर में Software Technology Park की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त Public Private Partnership के तहत एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना किये जाने की योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के मेधावी छात्रों को कुशल "I.T. Professional" बनाना होगा।

81. वित्तीय वर्ष 2013–14 में भूअभिलेखों को Computrised करने का लक्ष्य रखा गया है ऐसा करने से भूमि प्रबंधन में सुधार होगा एवं निर्धन वर्गों के बीच भू–आवंटन की प्रक्रिया को त्वरित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त भू–राजस्व में भी वृद्धि होगी।

82. राज्य में मुद्रांकों की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ई–मुद्रांकण प्रणाली से कम्प्यूटरजनित मुद्रांक सर्टिफिकेट जारी करने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है। साथ ही संस्थाओं के ऑन–लाइन निबंधन एवं रिर्टन फाइलिंग की व्यवस्था हेतु e-payment gateway की सुविधा उपलब्ध कराने का मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है।

83. राज्य के छोटे व्यवसायियों हेतु **अनुमानित कर प्रणाली एवं समाहित कर प्रणाली** के सरलीकरण की कार्रवाई की जा रही है तथा राजस्व वृद्धि हेतु झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में राजस्वोन्मुखी संशोधन की कार्रवाई की जा रही है।

84. झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2012 को दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी किया गया है, जिससे औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा तथा 20 लाख रोजगार सृजन की संभावना है। मेगा हैण्डलूम कलस्टर गोड्डा–संथालपरगना की रु. 100.00 करोड़ की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे 25000 बुनकर लाभान्वित होंगे।

85. सोलर चालित रीलिंग–स्पिनिंग मशीन **''समृद्धि''**, झारक्राट एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जिसके तहत् 5500 महिलाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा गया है।

86. शिक्षा समाज का दर्पण है। नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। **1 अप्रैल 2013 को ही राज्य सरकार ने राज्य के वर्ग 1 से वर्ग 8 तक नामांकित एवं अध्ययनरत सभी छात्र–छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी है।** राज्य के 40 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत् दोपहर का पका हुआ भोजन प्रति कार्यदिवस को उपलब्ध कराया जा रहा है। केन्द्र योजना तथा राज्य योजना से वर्ग 1 से वर्ग 8 तक नामांकित सभी छात्र–छात्राओं को नि:शुल्क दो–दो सेट स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्य में मेधा–सह–निर्धनता छात्रवृति योजना के तहत् छात्र–छात्राओं को छात्रवृति प्रदान की जा रही है। राज्य के 20 जिलों में साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत् 35 लाख असाक्षरों को साक्षर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु टेट परीक्षा का आयोजन कर परीक्षाफल का प्रकाशन भी करवा दिया है तथा नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है।

87. माध्यमिक शिक्षा प्रक्षेत्र में राज्य के मैट्रिक एवं इंटर की कक्षाओं में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी छात्राओं को मैट्रिक तथा इंटर की परीक्षा का निबंधन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क से मुक्त कर दिया है। वर्ग 8 में नामांकित एवं अध्ययनरत लगभग 10 हजार सामान्य कोटि के छात्राओं को नि:शुल्क साईकिल उपलब्ध कराई गई। राज्य के 272 गैर सरकारी प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों एवं 125 इंटर महाविद्यालयों को लगभग 30 करोड़ का अनुदान दिया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् 894 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में 8940 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कार्रवाई अग्रसर है। केन्द्र

प्रायोजित योजना के तहत् मॉडल विद्यालयों की स्थापना तथा बालिका छात्रावास निर्माण की योजना पर भी कार्रवाई की जा रही है।

88. उच्च शिक्षा के प्रक्षेत्र में झारखण्ड में स्थापित भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची को राज्य सरकार ने भूमि उपलब्ध करा दी है तथा इसका शिलान्यास निकट समय में किया जाना है। विश्वविद्यालयों की शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सिद्धो कान्हो मूर्मू विश्वविद्यालय, नीलाम्बर पिताम्बर विश्वविद्यालय एवं कोल्हान विश्वविद्यालय के परिसर विकास हेतु योजना की स्वीकृति दी गई है तथा इन विश्वविद्यालयों के साथ-साथ राँची विश्वविद्यालय, राँची एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की भी आधारभूत संरचना हेतु अलग से योजना स्वीकृत की गई है। मॉडल महाविद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण करने की भी योजना है।

89. राज्य में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास योजना, आम आदमी बीमा योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इत्यादि योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

90. वर्ष 2016 तक राज्य से बाल श्रम प्रथा का उन्मूलन करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार द्वारा एक कार्ययोजना अंगीकृत की गयी है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला तथा प्रखण्ड स्तरीय कार्यशालाएँ आयोजित करके पंचायती राज प्रतिनिधियों सहित सभी सहभागियों एवं जनसाधारण को इस हेतु संवेदनशील बनाने की कार्रवाई की जायेगी।

91. निजी क्षेत्र के नियोजकों को मांग के अनुरूप उम्मीदवारों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेला तथा भर्त्ती कैम्प का आयोजन विगत चार वित्तीय वर्षों से किया जा रहा है। पिछले चार वर्षों में कुल 68 रोजगार मेलों एवं 60 भर्त्ती कैम्पों के माध्यम से लगभग 73,000 बेराजेगारों को विभिन्न कम्पनियों/ प्रतिष्ठानों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

92. केन्द्रीय प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य के दस उग्रवाद प्रभावित जिलों यथा चतरा, हजारीबाग, बोकारो, पलामू, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, गुमला एवं लातेहार में प्रत्येक में एक

औ.प्र.संस्थान एवं दो स्कील डेवलपमेंट सेन्टर की स्थापना हेतु स्थल चयन हो चुका है तथा प्रथम चरण का आवंटन निर्गत हो चुका है। इस योजना के अन्तर्गत 10 नक्सल प्रभावित जिलों में उपायुक्तों द्वारा चयनित 143 मैट्रिक उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लम्बी अवधि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

93. स्कील डेवलपमेंट इनीसिएटिव स्कीम के अन्तर्गत कुल 11000 छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 7570 छात्रों का प्रशिक्षण चालू है।

94. राज्य में मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोक्यूरमेन्ट कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में मशीन–उपकरण, दवा एवं उपस्कर आदि का क्रय इसी कॉरपोरेशन के माध्यम से कराने की योजना है।

95. राँची में 20 सीटों वाली ''104'' हेल्थ इन्फॉरमेशन हेल्पलाईन सेन्टर की स्थापना हेतु एजेन्सी का चयन कर लिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में इसे चालू करा दिया जायेगा।

96. आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन योजना विनिर्माण हेतु राज्य के सभी जिलों के अपर समाहर्त्ताओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आपदा प्रबंधन पर व्यापक जागरुकता हेतु प्रयास – NDMA, NDRF के माध्यम से मेगा मॉक ड्रिल एवं मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का सघन क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विद्यालयों में मॉक ड्रिल का आयोजन कर विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को भूकम्प, अग्निकांड, सड़क दुर्घटना, वज्रपात एवं आतंकी हमलों जैसी आपदाओं के प्रति जागरूक बनाना है।

97. उत्तराखंड में आये भीषण आपदा के दौरान झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों से गये पर्यटक/तीर्थयात्री जो अब तक घर वापस नहीं लौटे हैं, गुमशुदा हैं, के संबंध में राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्तों से गुमशुदा व्यक्ति/परिवार की सूचना प्राप्त कर 38 (अड़तीस) गुमशुदा व्यक्तियों की सूची उत्तराखंड के मिसिंग सेल को दिया गया है तथा उनके वेबसाइट तथा इमेल आई.डी. पर उन लोगों के नामों को सूचीबद्ध किया गया है। झारखण्ड सरकार की ओर से उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री राहत कोष में 5.00 (पाँच)

करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य के वैसे व्यक्ति, जिनकी मृत्यु उक्त आपदा से हुई है, के परिवार को 1-1 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाय।

98. हमारी सरकार की संवेदनशीलता, सक्रियता एवं पारदर्शिता की व्यवस्था से कार्यों के निष्पादन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त होंगे। स्थानीय स्तर पर ही जन समस्याओं के निराकरण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को लोकोन्मुख बनाया जायेगा। प्रशासनिक कार्यों के निस्तारण में चुस्ती लाई जायेगी और हर स्तर के अधिकारी पूरी दक्षता से अपनी जिम्मेदारियों को निभायेंगे। नई एवं उन्नत कार्य संस्कृति राज्य की जनता में शासन के प्रति विश्वास एवं आस्था विकसित करेगी, ऐसा विश्वास है। हमारी सरकार राज्य की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।

99. माननीय सदस्यगण, मैंने अभी आपके समक्ष अपनी सरकार की प्रमुख नीतियों, प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत की है। इसी सत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक मांगें भी आपके समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी, जिनको और तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित करने की आपसे अपेक्षा होगी।

100. अन्त में मैं आप सभी को इस अवसर पर यह याद दिलाना चाहूँगा कि देश और राज्य में लोकतंत्र का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सदन के भीतर और बाहर इस गरिमामयी सदन के माननीय सदस्यगण का आचरण और व्यवहार कैसा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कार्य और आचरण से सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाये रखेंगे। आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहना चाहूँगा कि आप सभी आपसी दलीय भेद-भाव भुलाकर प्रदेश की भोली-भाली जनता के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लें तथा राज्य को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करें। मुझे पूर्ण आशा है कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में आप सबों का सक्रिय सहयोग प्राप्त होगा।

जय हिन्द! **जय झारखण्ड!**